

पाडल्या पंचायत में विकास के नाम पर धांधली...

परफार्मेंस ग्रांट फंड की राशि में लाखों का बिल घोटाळा उजागर

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले की जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाडल्या इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में है। सरकारी खजाने की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले जिम्मेदारों ने ही आपसी मिलीभगत कर विकास कार्यों के नाम पर बंदरबंद का ऐसा खेल रचा है, जिसने प्रशासनिक शुचिता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहां आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण से लेकर सीसी रोड निर्माण तक के कार्यों में वित्तीय नियमों को दरकिनार कर केवल कागजी खानापूर्ति के माध्यम से लाखों रुपये निकाल लिए गए।

सबसे चौकाने वाला मामला सोहनलाल के घर से शाकिर के घर तक निर्मित सीसी रोड सह नाली निर्माण में सामने आया है। इस कार्य के

लिए शासन द्वारा 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 3 लाख 69 हजार रुपये का व्यय दिखाया गया है। नियमानुसार, किसी भी कार्य का भुगतान तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके समस्त बिल प्रस्तुत किए जाएं, परंतु यहाँ 31 हजार रुपये कम के बिल होने के बावजूद उपयंत्रि ने 13 जनवरी 2020 को ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यह सोधे तौर पर सरपंच, सचिव और उपयंत्रि के बीच हुए उस अपवित्र गठबंधन को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल सरकारी धन का बंदर बाट करना।

भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मटेरियल खरीदी के तय पैमानों को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों में मटेरियल और मजदूरी का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, जिसके तहत मटेरियल पर अधिकतम 2 लाख 75 हजार रुपये खर्च किए जा सकते थे। इसके विपरीत, सचिव और सरपंच ने मिलीभगत कर चहेते सप्लायरों को उपकृत करने

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	कुल	कॉट	नोट
1	सी.सी. रोड के निर्माण के लिए	200	2300	460000		
<p>Bank Name - Bank of India Account No. 8512010000004 IFSC Code - BKID0000861</p>						
Total				14.7	6451.2	
CGST				14.7	6451.2	
SGST				5.8	2622.2	
Total				35.2	15524.6	
GR Total				35.2	15524.6	
GR Total				35.2	15524.6	

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	कुल	कॉट	नोट
1	सी.सी. रोड के निर्माण के लिए	200	2300	460000		
2	सी.सी. रोड के निर्माण के लिए	200	2300	460000		
<p>Bank Name - Bank of India Account No. 8512010000004 IFSC Code - BKID0000861</p>						
Total				14.7	6451.2	
CGST				14.7	6451.2	
SGST				5.8	2622.2	
Total				35.2	15524.6	
GR Total				35.2	15524.6	
GR Total				35.2	15524.6	

के लिए 3 लाख 20 हजार का मटेरियल बिल लगा दिया। यानी तय सीमा से 45 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का बिल दर्शाया गया जो कि नियम विरुद्ध है। इस पूरे कार्य में लगाए गए बिल तकनीकी रूप से मानक नहीं हैं और इनमें भारी मात्रा में इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी की गई है।

बोरगांव बुजुर्ग की मेघा ट्रेडर्स से 1 लाख 40 हजार की सीमेंट खरीदी दिखाई है, जिसकी धरातल पर वास्तविकता और बिलों की वैधता संदिग्ध है। वहीं नरेंद्र सिंह पिता गंगू सिंह सप्लायर जिन्होंने रेत 28 ट्रिप ट्राली 3000 हजार प्रति दर, गिट्टी 20 ढ़ 28 ट्रिप ट्राली प्रति दर 4000 के हिसाब से बिल का भुक्तान किया जो कि बिल मानक नहीं जिसमें जीएसटी के 5 प्रतिशत काटना था जो नियम के अनुसार सही था परन्तु उपयंत्रि द्वारा

समस्त बिलों का मूल्यांकन कैसे किया जो कि जांच के घेरे में है। पंचायत पाडल्या के समस्त निर्माण कार्यों की जांच करे तो निश्चित ही चौकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। दस्तावेजों और बैंक लेन-देन के विश्लेषण से यह भी पता चला है लगभग एक ही दिन में कई संदिग्ध भुगतान किए गए। बसंत यासिर खान जैसे वेंडरों को एक ही दिन में भारी भरकम राशि स्थानांतरित करना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा लगता है।

हेरामी की बात यह है कि पंचायत स्तर पर फाइल को गलत करार दिए जाने के बावजूद जनपद स्तर के अधिकारियों ने बिना भौतिक सत्यापन के उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिए? यह पूरा मामला परफार्मेंस ग्रांट फंड की राशि के दुरुपयोग का एक छोटा सा हिस्सा ही सकता है, जिसकी यदि जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कराए और इन नबरी के आधार पर वेंडरों के खातों की पड़ताल करे, तो एक बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा होना निश्चित है।

महिला आरक्षण पर असहयोग के विरोध में निगम का निंदा प्रस्ताव पारित

नवभारत न्यूज

खंडवा। नगर निगम सभागृह में आज आयोजित विशेष सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर असहयोग के विरोध में कड़ा रुख अपनाते हुए निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष एवं सभापति अनिल विश्वकर्मा ने की। बैठक में वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन हेतु 16 अप्रैल को लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया था।

चर्चा के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि उक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। विपक्ष द्वारा इसे परिसीम



(डेलिमिटेशन) से अलग रखने की मांग के बीच पर्याप्त समर्थन न मिलने को परिषद ने महिला सशक्तिकरण के प्रति असहयोगात्मक रवैया बताया और इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। महापौर अमृता अमर यादव द्वारा प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। महापौर ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर देना केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र

निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है। उन्होंने इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा बताया है। सभापति अनिल विश्वकर्मा ने कहा कि नगर निगम परिषद महिला सम्मान, समान प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीतिक सहमति न बन पाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

विशेष सम्मेलन में पार्षद

— रोशनी गोलकर, सुनीता राठौर, मोनिका बजाज, सीमा यादव, सुवर्णा पालीवाल, स्वाति सकल्ले और रानी वर्मा सहित अनेक महिला जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त एमआईसी सदस्य सोमनाथ काले (बंडू भैया), राजेश यादव, अनिल वर्मा, वरुण भावरे (विष्की), नेता प्रतिपक्ष मधु राठौड़, अन्य पार्षदगण, सचिव सचिन सितोले तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सम्मेलन के माध्यम से नगर निगम परिषद ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का असहयोग स्वीकार्य नहीं है और इस दिशा में व्यापक सहमति बनाना समय की आवश्यकता है।

ऑकारेश्वर में किसान संघ का आंदोलन कल

ऑकारेश्वर।

भारतीय किसान संघ ने 30 अप्रैल को ऑकारेश्वर में आंदोलन और चक्का जाम करने की घोषणा की है। संघ के अध्यक्ष सुभाष यादव एवं मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एसडीएम पंकज वर्मा पर बलराम भगवान एवं भगवा ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया है। इस घटना के विरोध में तथा किसान संघ के स्वागत बोर्ड को पुनः स्थापित करवाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे माधवा, ऑकारेश्वर तहसील कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। आंदोलन भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आयोजित होगा। संघ पदाधिकारियों ने सभी अनुसंगिक संगठनों, धर्मप्रेमी जनता एवं किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज

खंडवा। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत कलेक्टर सहायक में नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वहीं अमलपुरा के लतीफ मोहम्मद ने न्यायालय आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने की बात रखी, जिस पर भी एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश मिले। हरसूद के सांदिपनि विद्यालय के छात्र केतन राठौर ने छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्रों में



ट्रांसफर होने की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

खालवा के रामगोपाल ने राजस्व अधिलेख से पिता का नाम हटाने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम हरसूद के सांदिपनि विद्यालय के छात्र केतन राठौर ने छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्रों में

गडबडी की शिकायत की, जबकि सेवानिवृत्त प्राचार्य मंगला मावले ने पेंशन भुगतान में देरी की समस्या रखी। दोनों मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि एसडीएम हरसूद को जांच के समाधान प्राथमिकता से किया जाए।

हेलमेट अभियान में सख्ती, 279 वाहन चालकों पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले में चल रहे हेलमेट विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार 26 अप्रैल से 10 मई तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल को खंडवा जिले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 279 दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए गए। इस दौरान कुल लगभग छियासह हजार रुका समन शुल्क वसूला गया।

कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय के नेतृत्व में की गई। अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी



कार्रवाई के साथ-साथ पीओएस मशीन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रकरण परिवहन विभाग को भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को हेलमेट के महत्व और

यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं।

पुरुषोत्तम मास में नानीबाई से मायरो कथा 18 मई से



खंडवा। इस वर्ष ज्येष्ठ माह में अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) के पावन अवसर पर पूर्व निमाडू सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा भक्ति से ओतप्रोत आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 18 मई से 22 मई तक नानी बाई रो मायरो कथा का आयोजन श्रीगणेश गोशाला परिसर में किया जाएगा। समिति के आशीष चटकेले ने बताया कि वृंदावन की पूज्य देवी कृष्ण प्रिया दीदी के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक कथा का वाचन होगा। आयोजन के दौरान भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रामिणकाल के अनुरूप विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समिति ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की है।

स्टार रेटिंग से तय होगी फैक्ट्री की श्रम साख

नवभारत न्यूज

खंडवा। अब जिले में मजदूरों को रोजगार देने वाले संस्थानों की श्रम साख स्टार रेटिंग से तय होगी। श्रम विभाग ने श्रम सेवा पोर्टल पर लागू किए गए श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम को सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का नया मॉडल बताया है। इस नई व्यवस्था में संस्थानों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके आधार पर सिस्टम स्वचालित तरीके से उनकी रेटिंग तय करेगा।

निरीक्षण के पारंपरिक तरीके के साथ अब डिजिटल मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे यह साफ हो सकेगा कि कौन-सा संस्थान श्रमिकों की सुरक्षा, वेतन, स्वास्थ्य और कल्याण के नियमों का सही पालन कर रहा है। जिला श्रम पदाधिकारी अनिल मलगाया के अनुसार, यह सिस्टम ईमानदारी से काम करने वाले उद्योगों के लिए पहचान का माध्यम बनेगा। अच्छी रेटिंग पाने वाले संस्थानों को न सिर्फ प्रतिष्ठ

मिलेगी, बल्कि भविष्य में उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सहूलियत मिल सकती है। वहीं, नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थान खुद-ब-खुद चिन्हित हो जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल श्रमिकों के लिए परोक्ष सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। जब कंपनियों की रेटिंग सार्वजनिक होगी, तो मजदूर भी बेहतर कार्यस्थल चुन सकेंगे। साथ ही उद्योगों के बीच बेहतर बनने की होड़ बढ़ेगी, जिससे श्रम कानूनों का पालन मजबूती से लागू होगा।

शिवरिया रोड पर बाजार, ग्रामीण-व्यापारी परेशान

बीड। मोहद रोड निर्माण के चलते अस्थायी रूप से शिवरिया रोड पर शिफ्ट किया गया साप्ताहिक बाजार अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। शुरुआत में इसे केवल 3-4 हफ्तों के लिए हटाने की बात कही गई थी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी बाजार अपने पुराने स्थान पर नहीं लौट पाया है।

कर्मवीर विद्यालय शुरू कराने विधायक की सीएम से चर्चा



नवभारत न्यूज

खंडवा। भोपाल में खंडवा विधायक कंचन मुकुंश तनवे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट कर पत्रकारिता एवं संचार शिक्षा विद्यालय परिसर स्थित कर्मवीर विद्यालय को पुनः सुचारु रूप से संचालित करने और आगामी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कराने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, बंद पड़ी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा परिसर में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं के

विस्तार को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ। विधायक ने बताया कि लंबे समय से बंद शैक्षणिक व्यवस्थाओं को पुनः शुरू करना क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों को बाहर जाने की मजबूरी न रहे। मुख्यमंत्री ने विषय की गंभीरता को समझते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पहल से खंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है।

एक नजर

सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में मौत का बेल्ट

सुरक्षा मानकों की बलि चढ़ा एक और श्रमिक

नवभारत न्यूज

बीड। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना एक बार फिर श्रमिक की मौत और सुरक्षा इंतजामों की पोल खुलने के कारण सुर्खियों में है। सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे फेज-1 के कोल हैंडलिंग प्लांट में काम के दौरान 25 वर्षीय युवक रविंद्र, निवासी ग्राम पुनासा, की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने परियोजना के भीतर काम कर रहे कर्मियों के सुरक्षा दायों और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति- प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेज-1 में कोल हैंडलिंग का कार्य आका लॉजिस्टिक कंपनी के पास है, जिसने वेंडर के रूप में विनायक इलेक्ट्रिकल्स को काम पर रखा है। प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य श्रमिकों का आरोप है कि प्लांट के भीतर सुरक्षा संसाधनों की भारी कमी है। रविंद्र किस



प्रकार बेल्ट की चपेट में आया, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन श्रमिकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के बावजूद ठेका कंपनियों कोई सबक नहीं ले रही हैं।



आर्थिक और मानसिक शोषण आम बात है और जान जोखिम में डालकर काम करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा किट (हेलमेट, हार्नेस, सेफ्टी शूज) उपलब्ध नहीं कराए जाते।

क्या वेंडर पर गिरेगी गाज? सिंगाजी परियोजना में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार छोटी-मोटी जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रविंद्र की मौत ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन आका लॉजिस्टिक और विनायक इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा?

या फिर हर बार की तरह इस बार भी श्रमिक की जान की कीमत केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित रह जाएगी? एक 25 साल का नौजवान काम पर इसलिए नहीं जाता कि वह लाश बनकर लौटे। थर्मल पावर प्लांट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यदि बेल्ट और कोल हैंडलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो यह हादसा नहीं बल्कि संस्थागत हत्या है। पुलिस को चाहिए कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के पंचनामे के साथ-साथ कंपनी के सेफ्टी ऑडिट की भी जांच करे।

